न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– श्री के0आर0 खोड़ आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	**तारीख दायर**	**तारीख फैसला**
01/2017/वाद पत्र	**03.01.2017**	**25.05.2017**

उनवान

1–2 रामधन, शिवराज पिता लादुलाल रेगर निवासी सांगरिया फूलियाकलां

– वादीगण

बनाम

1– मिठू पिता बरदू बावरी निवासी राज्यास तहसील फूलियाकलां
2– तहसीलदार, शाहपुरा

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 आर0टी0ए0

उपस्थित :– श्री सुनील कुमार शर्मा : अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 रा0टी0ए0 विरूद्व प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगणों के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की पुस्तेनी आराजीयात ग्राम पनोतिया पटवार हल्का देवरिया तहसील फूलियाकलां जिसके आराजी नम्बर 1460 रकबा 1.26 है0 है। कुछ समय से प्रतिवादी नं0 1 जो कि प्रभावशाली व्यक्ति है एवं वर्णित आराजीयात आ0न0 1460 रकबा 1.26 है0 भूमि पर जबरन एवं ताकत के बल पर कब्जा कर लिया जबकि वादीगण के पास उक्त आराजी के अलावा अन्य कोई आराजी अपने परिवार के पालन पोषण हेतु उपलब्ध नही है। वादीगणों ने कई बार भूमि पर जाने का प्रयास किया तो प्रतिवादी नं0 1 ने जातिगत गालिया निकालते हुए कहा कि जमीन पर पैर रखा तो जान से खतम कर दूंगा इसलिए वादीगणों को कब्जा प्राप्त करने हेतु यह वाद पेश करने की आवश्कता हुई है। अतः वादीगण के पक्ष मे व प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व कब्जा दिलाने की डिक्री इस अमर की जारी की जावे कि प्रतिवादी नं0 1 को वादीगण की पेरा नं0 1 मे वर्णित आराजी से प्रतिवादी नं0 1 को बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलाया जावे। जिसकी पालना प्रतिवादी नं0 2 से कराई जावे।

d

प्रकरण पजीबद्व किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। दिनांक 23.03.2016 को प्रतिवादी नं0 1 बावजूद सम्मन तामील आवाजे दिलाई जाने के उपस्थित नही होने से उसके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की जाकर प्रकरण जवाब पेरोकार सरकार के नियत किया गया। दिनांक 06.04.2017 को पेरोकार सरकार का जवाब प्राप्त नही होने से पेरोकार का जवाब बन्द किया जाकर प्रकरण साक्ष्य वादीगण के नियत किया जाकर प्रकरण राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार – 2017 केम्प देवरिया पर दिनांक 25.05.2017 को रखा गया। दिनांक 25.05.2017 को वादीगण मय अभिभाषक उपस्थित है। वादी श्री रामधन की ओर से साक्ष्य के रूप मे शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ जो पी0डब्ल्यू0 – 1 होकर शामिल पत्रावली किया गया। बहस अभिभाषक वादीगण सुनी गई। बहस मे अभिभाषक वादीगण ने वाद पत्र मे अंकित तथ्यों एवं राजस्व रेकार्ड के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। मैने बहस पर मनन एवं पत्रावली का भंली भांति अवलोकन किया गया। राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी ग्राम पनोतिया पटवार मण्डल देवरिया तहसील फूलियाकलां के खाता संख्या 305 आ0न0 1460 रकबा 1.26 है0 के वादीगण खातेदार काश्तकार है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ :–

आदेश

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 रा0टी0ए0 स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि वाके ग्राम पनोतिया पटवार हल्का देवरिया तहसील फूलियाकलां मे स्थित खाता संख्या 305 आ0न0 1460 रकबा 1.26 है0 का कब्जा वादीगणों को प्रतिवादी नं0 1 से विधिवत दिलाये जाने के आदेश तहसीलदार, फूलियाकलां को दिये जाते है। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 25.05.2017 को केम्प देवरिया पर सुनाया गया।

(के0आर0 खौड़)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलाँ, जिला–भीलवाड़ा

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा

बईजलास **श्री के0 आर0 खौड, आर0ए0एस0**

1–2 रामधन, शिवराज पिता लादुलाल रेगर निवासी सांगरिया तह0 फूलियाकलां

– वादीगण

बनाम

1– मिठू पिता बरदू बावरी निवासी राज्यास तहसील फूलियाकलां

2– तहसीलदार, शाहपुरा – प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा **183 आर0टी0ए0**

मुकदमा नम्बर **01/2017 राजस्व वाद**

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजांनिब मुदई व ......**X**......... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :–

वाके ग्राम पनोतिया पटवार हल्का देवरिया तहसील फूलियाकलां मे स्थित खाता संख्या 305 आ0न0 1460 रकबा 1.26 है0 का कब्जा वादीगणों को प्रतिवादी नं0 1 से विधिवत दिलाये जाने के आदेश तहसीलदार, फूलियाकलां को दिये जाते है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें मे सूद शहर फीसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज **तारीख 25 माह 05 सन् 2017** को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलाँ, जिला–भीलवाड़ा